"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2014— पौष 11, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-7/2005/29/खाद्य-2. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 सहपठित धारा 5 तथा भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश क्र. जी. एस. आर. 800 दिनांक 09 जून, 1978, सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले का विभाग) द्वारा जारी विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2003 जी. एस. आर. 490 (ई) दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ चांवल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त आदेश में,-

(1) खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(1) प्रत्येक मिलर उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित अरवा चावल की कुल मात्रा में से ऐसी मात्रा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, क्रय अधिकारी को उद्ग्रहण मूल्य पर एवं खण्ड 6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विक्रय करेगा :

परन्तु ऐसी अधिसूचित मात्रा, कस्टम मिलिंग को छोड़कर, मिलर द्वारा उत्पादित या निर्मित अरवा चावल की कुल मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी."

(2) खण्ड 3 के उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(2) प्रत्येक मिलर उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित उसना चावल की कुल मात्रा में से ऐसी मात्रा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, क्रय अधिकारी को उद्ग्रहण मूल्य पर एवं खण्ड 6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विक्रय करेगा :—

परन्तु ऐसी अधिसूचित मात्रा, कस्टम मिलिंग को छोड़कर, मिलर द्वारा उत्पादित या निर्मित उसना चावल की कुल मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी."

(3) खण्ड 4 के उपखण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(1) प्रत्येक ब्योहारी, विक्रय, प्रदाय या निर्यात के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा क्रय अथवा आयात किए गये, चावल अथवा धान से निर्मित चावल के स्टॉक में से ऐसी मात्रा, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाए, क्रय अधिकारी को उद्ग्रहण मूल्य पर एवं खण्ड 6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विक्रय करेगा :

परन्तु ऐसी अधिसूचित मात्रा, उसके (ब्योहारी) द्वारा क्रय या आयात किए गए चावल अथवा उसके द्वारा क्रय या आयात किए गए धान से निर्मित चावल के स्टॉक की कुल मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी."

(4) खण्ड 7 के उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(2) संचालक, कलेक्टर अथवा दोनों, किसी भी समय, किसी भी मिलर को, ऐसी निर्बंधनों तथा शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस संबंध में आदेश जारी करते हुए, नियत की जाए, राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी तथा भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत उपार्जित एवं धारित धान के किसी भी स्टॉक की कस्टम मिलिंग करने हेतु निर्देश दे सकेगा,

परन्तु संचालक, कलेक्टर अथवा दोनों, किसी भी मिलर को उसकी वार्षिक मिलिंग क्षमता के आधे से अधिक को कस्टम मिलिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्देश नहीं देगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 4-7/2005/29/खाद्य-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 1st January 2014

NOTIFICATION

No. F 4-7/2005/29/Food-2. — In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and Order No. G. S. R. 800 dated, 09th June, 1978 of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution read with Removal of (Licensing requirement, Stocks limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2003 G. S. R. 490 (E), dated 16th June, 2003 issued by Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), with the prior concurrence of the Central Government, the Sate Government, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order, 2007, namely :-

AMENDMENTS

In the said order,-
1. For sub-clause (1) of Clause 3, the following shall be substituted, namely :-
"(1) Every miller shall sell such quantity from total quantity of raw rice prepared or produced by him, as may be notified by the State Government, from time to time, to the Purchase Officer at levy price and in accordance with the procedure laid down in clause 6 :

Provided that except custom milling such notified quantity shall not exceed 25% of the total quantity of raw rice prepared or produced by miller."

2. For sub-clause (2) of Clause 3, the following shall be substituted, namely :-

"(2) Every miller shall sell such quantity from total quantity of parboiled rice prepared or produced by him, as may be notified by the State Government, from time to time, to the Purchase Officer at levy price and in accordance with the procedure laid down in clause 6 :

Provided that except custom milling such notified quantity shall not exceed 25% of the total quantity of parboiled rice prepared or produced by miller."

3. For sub-clause (1) of Clause 4, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Every dealer shall sell such quantity from total quantity of rice or stock of rice produced from paddy, purchased or imported by him, for the purpose of sale, supply or export, as may be notified by the State Government, from time to time, to the Purchase Officer at levy price and in accordance with the procedure laid down in clause 6 :

Provided that such notified quantity shall not exceed 25% of the total quantity of rice purchased or imported by him or stock of rice produced from paddy purchased or imported by him."

4. For sub-clause (2) of Clause 7, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The Director, Collector or both, may, at any time, on such terms and conditions as may be fixed by the State Government by issuing an order from time to time in this regard, direct any miller to custom milling paddy procured and held in stock through the State Government or any of its agencies or Government of India or any of its agencies under Price Support Scheme :

Provided that the Director, Collector or both shall not direct any miller to use more than half of his annual milling capacity for the purpose of custom milling."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.